प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **152/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

शान्तिलाल मेनारिया पुत्र स्व. भीमलाल रागोत निवासी: मु.पो. मेनार, वाया खेरोदा, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 25-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 26.09.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/152/24/1243–44 दिनांक 28.10.2024 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/152/2024/1118 दिनांक 29.10.2024 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना का संबंध मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर से संबंधित से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 992–94 दिनांक 08.10.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना प्रार्थी को भी निर्धारित समयावधि में दी जा चुकी है अतः अपील खारिज फरमायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक 992–94 दिनांक 08.10.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त करे। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर